

298  
24

पत्रावली पेशा हुई। प्रार्थना भय इतिवत्  
उपस्थित नहीं। वकील इत्यादी उपर प्रार्थना  
का मूल वद इत्यादी पत्रों में स्वारीज हो  
कुदा है ऐसी स्थिति में वाद के इभाव में  
212 RTI का प्रार्थनापत्र चलने योग्य नहीं  
होने से स्वारीज किया जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा